



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102023-249493
CG-DL-E-17102023-249493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4383]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945

No. 4383]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4554(अ).—केंद्रीय सरकार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 3 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (घ) (ii) में राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना निम्नानुसार है:-

(घ) (ii) श्री दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, सदस्य के रूप में, पदेन;

[फा. सं. यू.11019/03/2022-एचआर]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4554(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby notifies the revised composition of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 by modifying Para (d) (ii) of the notification of even no. dated 4th May, 2022 as under :-

(d) (ii) Shri Diwakar Singh, Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Govt. of India as Member, ex officio;

[F. No. U.11019/03/2022-HR]

RICHA KHODA, Jt. Secy.